Sir, my intention was never to bring any disrepute or make the Chair dysfunctional. I am no one to make the hon. Chairman of the Rajya Sabha dysfunctional. Yesterday's episode was because I was in a state of anguish. Therefore, I wish to take back my words. I sincerely regret for the comments made by me yesterday. They were unintended and made on spur of anguish as I had become emotional. And, I assure you, Sir, I had no intention to hurt you or cast aspersions on the Chair.

I, therefore, regret once again and assure you that it will not be repeated once again. Thank you very much, Sir.

MR. CHAIRMAN: Okay, leave it. The matter is closed now.

MATTERS RAISED WITH PERMISSION

Need to ban use of objectionable language/ derogatory content on OTT platforms

श्री महेश पोद्दार (झारखंड): सभापति महोदय, देश में इंटरनेट की सुलभता के साथ-साथ Netflix जैसे अनेक ओटीटी प्लेटफॉर्म्स सूचना और मनोरंजन के नए माध्यम के रूप में उभरे हैं। कोरोना महामारी के कारण लगातार लॉकडाउन और थिएटर्स के बंद होने की वजह से भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की पहुंच काफी बढ़ी है, लेकिन इसी के साथ-साथ एक खतरा भी बढ़ा है, एक विसंगति भी आई है, जिससे समाज और हमारी भावी पीढ़ी के ऊपर दूरगामी, नकारात्मक और विकृत प्रभाव पड़ने की संभावना बलवती हो गई है। देश का एक बड़ा धार्मिक वर्ग सांस्कृतिक कारणों से इसका विरोध कर रहा है, लेकिन मेरी चिंता ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में उपलब्ध सामग्री द्वारा भारतीय सामाजिक मूल्यों पर हो रहे आघात को लेकर भी है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की भाषा और कंटेट में sex discrimination ...(**व्यवधान**)...अथवा gender discrimination साफ झलकता है। एक तरफ तो हम स्त्रियों की अस्मिता की रक्षा के लिए खुद को प्रतिबद्ध बताते हैं, वहीं दूसरी तरफ सार्वजनिक माध्यमों पर मां-बहन की गालियां उपलब्ध कराई जा रही हैं, स्त्री-पुरुषों के जननांगों की चर्चा सार्वजनिक रूप में कराई जा रही है।

महोदय, हिंदी या अंग्रेज़ी या कोई और अन्य भाषा हो, उसमें यह भी ग़ौर करने योग्य है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील फूहड़ भाषाओं के इस्तेमाल के क्रम में नारी गरिमा को ही बार-बार तार-तार किया जाता है, मानो कि पुरुष भोक्ता हो और नारी भोग्या। मैं अंत में बोलना चाहता हूं कि इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्री के रेग्युलेशन की ज़िम्मेदारी भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय को दी जा चुकी है। इसमें देरी करने की संभावना नहीं है। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि सरकार यथाशीघ्र और प्रभावी तरीके से ओटीटी प्लेटफॉर्म्स सहित इंटरनेट पर उपलब्ध सूचना और मनोरंजन के सभी माध्यम समुचित...(**व्यवधान**)... नियंत्रित करे।

डा. अमी याज्ञिक (गुजरात) : महोदय, मैं माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करती हूं।

श्री सुजीत कुमार (ओडिशा) : महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

DR. SASMIT PATRA (Odisha) : Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

DR. AMAR PATNAIK (Odisha) : Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI K.C. RAMAMURTHY (Karnataka): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRIMATI VANDANA CHAVAN (Maharashtra): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please keep the time constraint in mind. I have permitted 15 Members today, hoping that everyone will confine to two minutes, so that everybody gets an opportunity to speak here.

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री; सूचना और प्रसारण मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रकाश जावडेकर) : सभापति महोदय, महेश पोद्दार जी ने जो विषय उठाया है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें रोज़ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के बारे में बहुत सुझाव और शिकायतें मिलती हैं। महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बारे में गाइडलाइन्स और डायरेक्शन्स लगभग तैयार हो गई हैं और जल्दी ही इनको लागू भी कर दिया जाएगा।

Need for Enhancement of Minimum Pension with Free medical facilities to EPS-95 Pensioners

SHRI NEERAJ DANGI (Rajasthan): Mr. Chairman, Sir, the matter that I am raising today is regarding the Employees' Pension Scheme. My demand, with your permission, is for enhancement of minimum pension and free medical facilities to the EPS-95 pensioners.